कार्यालय जिलाधिकारी, खगड़िया।
(जिला आपदा प्रबंधन शाखा)

पत्रांक................../आ0 प्र0, दिनांक................................../

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
खगड़िया।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग,
बिहार, पटना।

विषय :– संभावित बाढ़ 2017 के मद्देनजर बाढ़ साहाय्य से संबंधित आवश्यक सामग्रियों की निविदा सूचना प्रकाशित कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि अल्पकालीन निविदा की सूचना दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु इस पत्र के साथ संलग्न 05 (पांच) प्रति एवं सी0 डी0 सहित भेजा जाता है।

अनुरोध है कि कम से कम राज्य एवं क्षेत्रीय स्तर के दो प्रमुख दैनिक हिन्दी, समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन्
Sd/-
जिलाधिकारी,
खगड़िया।

Received for sikka 06/05/17.

ज्ञापांक............/आ0 प्र0, दिनांक................................/

प्रतिलिपि :– जिला पदाधिकारी, कटिहार / पूर्णियाँ / मधेपुरा / सहरसा / सुपौल /मुंगेर/बेगूसराय/समस्तीपुर एवं दरभंगा को अल्पाकालीन निविदा की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं अपने जिले में प्रचारार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार पटना एवं आयुक्त मुंगेर प्रमंड़ल, मुंगेर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

Sd/-
जिलाधिकारी,
खगड़िया।

ज्ञापांक 137 /आ0 प्र0, दिनांक 02-05-17/

प्रतिलिपि :– अनुमंड़ल पदाधिकरी, खगड़िया एवं गोगरी/ जिला नजारत उप समाहर्त्ता, खगड़िया/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, खगड़िया एवं नगर पंचायत गोगरी/कार्यालय अधीक्षक, खगड़िया/सभी अंचल अधिकारी, एवं प्रखंड़ विकास पदाधिकारी, खगड़िया जिला को अल्पकालीन सूचना की प्रति संलग्न करते हुए आदेश दिया जाता है कि अपने–अपने कार्यालय के सूचना पट्ट पर निविदा की प्रति सटवाना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :– जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, खगड़िया को निविदा की प्रति के साथ आदेश दिया जाता है कि निविदा की सूचना को व्यापक प्रचार प्रसार कराना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :– एन0 आई0 सी0 पदाधिकारी, खगड़िया को अल्पकालीन निविदा सूचना की प्रति संलग्न करते हुए निदेश दिया जाता है कि बेबसाईट पर निविदा सूचना अपलोडिंग करेंगे।

जिलाधिकारी,
खगड़िया 2/5/17

कार्यालय जिलाधिकारी, खगड़िया।
(जिला आपदा प्रबंधन शाखा)

—: अल्पकालीन निविदा सूचना :—

एतत् द्वारा सूचित किया जाता है कि संभावित बाढ़ 2017 को देखते हुए बाढ़ राहत सामग्रियों की आपूर्ति हेतु इच्छुक फार्मो/प्रतिष्ठानों एवं आपूर्तिकत्ताओं से दिनांक ...27.5.17... के अपराहन 3.00 बजे तक मुहरबन्द निविदा (तकनीकि एवं वितीय अलग–अलग) आमंत्रित की जाती है। प्राप्त निविदा उसी दिन अपराहृन 04.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में जिला स्तरीय क्रय समिति के समक्ष निविदा खोली जायेगी। निविदा खोले जाने के समय निविदादाता या उनके प्रतिनिधि की उपस्थिति अनिवार्य होगी। आपूर्ति की जाने वाली आवश्यक सामग्रियों की सूची निम्न प्रकार है :–

क्र0	सामग्री का नाम	साईज/गुणवत्ता	अन्य विवरण
1	2	3	4
1	चुड़ा	उत्तम किस्म	दर प्रति किलो
2	चना	उत्तम किस्म	दर प्रति किलो
3	गुड़	उत्तम किस्म	दर प्रति किलो
4	सतू (चना का)	उत्तम किस्म	दर प्रति किलो
5	नमक	उत्तम किस्म	दर प्रति किलो
6	दिया सलाई	मझौला साईज	दर प्रति पैकेट (10) की सं0 में।
7	मोमबती	उत्तम किस्म (ल0–6.5 इंच, गो0–2.5 इंच)	दर प्रति पैकेट (06) की सं0 में।
8	चावल (मंसूरी)	उत्तम किस्म	दर प्रति क्वींटल।
9	प्लास्टिक थैला	05 किलो एवं 25 किलो का सामान रखने योग्य	दर प्रति किलो (न्यूनतम 250 माईक्रोन माटाई का)
10	दाल	उत्तम किस्म	दर प्रति किलो
11	सरसो तेल	उत्तम किस्म	दर प्रति किलो
12	मसाला (जीरा, हल्दी, धनियाँ, लालमिर्च एवं गोलमिर्च)	उत्तम किस्म	दर प्रति किलोग्राम
13	जेनरेटर (भाड़ा पर इंधन सहित)	प्रति दिन 08 घंटा चलने के आधार पर (राहत शिविर तक पहूँचाकर)	
14	सभी प्रकार के जेनरेटर से चलने वाला लाईट (भाड़ा पर)	प्रति दिन के दर से (प्रत्येक 10 मीटर पर एक सी0 एफ0 एल0 बल्ब राहत शिविर में लगाने सहित)	
15	खाना बनाने वाला सभी प्रकार के बर्त्तन (भाड़ा पर)	प्रति दिन के दर से एक रसोईया एवं चार मजदूर सहित	
16	खाना बनाने का गैस चुल्हा बड़ा साईज का (भाड़ा पर)	प्रति दिन के दर से	
17	दरी (भाड़ा पर)	सभी साईज का	प्रति दिन के दर से प्रति नग
18	चटाई (भाड़ा पर)	सभी साईज का	प्रति दिन के दर से प्रति नग
19	साड़ी	प्रति अदद	
20	ब्लाउज	प्रति अदद	
21	पेटिकोट	प्रति अदद	
22	लूंगी	प्रति अदद	

23	गंजी	प्रति अदद (व्यस्क के लिए)
24	गमछा	प्रति अदद
25	टी–शर्ट	प्रति अदद (टी–शर्ट के साईज के अनुसार)
26	निक्कर	प्रति अदद (साईज के अनुसार)
27	फ्रॉक	प्रति अदद (साईज के अनुसार)
28	चड्डी	प्रति अदद (साईज के अनुसार)
29	थाली	प्रति नग
30	ग्लास	प्रति नग
31	कटोरा	प्रति नग

निविदा डालने हेतु निम्नांकित शर्तो का अनुपालन अनिवार्य होगा :–

1. निविदादाता को जिला पदाधिकारी, खगड़िया के पदनाम से मो0 10,000/–(दस हजार) रू0 व जमानत राशि बैंक ड्राफ्ट के रूप में निविदा के साथ जमा करना अनिवार्य होगा। दस हजार रूप की जमानत राशि नगद में भी स्वीकार की जायेगी, जो जिला नजारत कार्यालय में जमा करना होग जिसका नाजिर रसीद देय होगी।
2. निविदा के साथ अपने दुकान एवं प्रतिष्ठान की अनुज्ञप्ति, वाणिज्यकर का निबंधन प्रमाण प्रत्र एवं फ द्वारा आयकर विभाग को आयकर चुकता /वैट का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। TI नम्बर एवं PAN नंबर तकनीकी निविदा में अंकित करना अनिवार्य है।
3. निविदा में निविदित सामग्रियों की सभी कर यथा वैट सहित दर स्पष्ट रूप से अंकित करना अनिव होगा।
4. निविदा खोलने के दिन सभी सामग्रियों का नमूना साथ में निविदादाता लायेगें, ताकि उनकी गुणव एवं वजन आदि की जाँच की जा सके।
5. स्वीकृत की गई निविदा के निविदादाता को इस आशय का एकरारनामा करना अनिवार्य होगा, कि आपूर्ति आदेश के 24 घटें के अन्दर नमूना के अनुरूप उचित संख्या, साईज, गुणवत्ता एवं मात्रा अनुसार सामग्रियों की आपूर्ति कर देगें एवं आवश्यकता के अनुसार खगड़िया जिला के सभी 07 (सा अंचलों के मुख्यालय तक पहूँचा देगें।
6. आदेशित सामग्रियाँ आपूर्तिकर्त्ता को पहले मुख्यालय में लाना होगा, गुणवत्ता एवं विशिष्टता की जांच उपरान्त एजेन्सी को अंचलों में पहूँचाना होगा। इसके लिए कोई परिवहन शुल्क या अन्य चार्जेज अल से देय नहीं होगा।
7. स्वीकृत की गई निविदा के निविदादाता नमूना के अनुसार सामग्रियों का भंडारण पर्याप्त मात्रा में अप पास सुरक्षित कर लेंगे।
8. सामग्रियों की भंडारण हेतु किसी भी प्रकार की अग्रिम देय नहीं होगी।
9. स्वीकृत किये गये नमुने के अनुरूप सामग्रियों की आपूर्ति नहीं किये जाने पर आपूर्तिक्रर्ता के विरू कानूनी कार्रवाई करते हुए आपूर्ति की गई सामग्री का कोई भी भुगतान नहीं किया जायेगा।
10. स्वीकृत आपूर्तिकक्रर्ताओं के द्वारा ससमय आदेशित सामग्री की आपूर्ति नहीं किये जाने की स्थिति आवश्यकता के मद्देनजर अन्य निविदादाताओं या स्थानीय बाजार से अनुमोदित दर पर आपूर्ति जा सकती है।
11. स्वीकृत निविदादाओं को छोड़कर शेष निविदादाता की जमानत राशि वापस कर दी जायेगी।
12. आपूर्ति की गई सामग्री के विरूद्ध भुगतान हेतु समर्पित विपत्र से नियमानुसार वैट, आयकर या जी एस0 टी0 कर की कटौती कर लेखा प्रदायी चेक के माध्यम से भुगतान किया जायेगा।
13. बिना कारण बताये निविदा रद्द करने का सर्वाधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा।

विशेष जानकारी के लिए जिला पदाधिकारी, खगड़िया के वेबसाइ http://khagaria.bih.nic.in पर देखा जा सकता है।

जिलाधिकारी,
खगड़िया